निदेशालय सैनिक कल्याण, उत्तराखण्ड
राज्य सैनिक कल्याण परिषद की पंचम बैठक – 04 मई 2018
प्रैस विज्ञप्ति

1. उत्तराखण्ड राज्य सैनिक परिषद की पंचम बैठक दिनांक 04 मई 2018 को माननीय मुख्य मंत्री जी की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री आवास परिसर के सभागार में आहूत हुई, जिसमें विन्दुओं पर विचार–विमर्श किया गया :–

(क) **बिन्दु संख्या –1. पूर्व सैनिकों के लिये रोजगार के अवसर बढ़ाने के सम्बन्ध में** । माननीय मुख्यमंत्री जी ने द्वारा अवगत कराया गया कि सरकार द्वारा शहीद परिवार के एक आश्रित को योग्यतानुसार सरकारी सेवा में रोजगार प्रदान किया जायेगा । तथा माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अवगत कराया गया कि इको टास्क फोर्स की दो अतिरिक्त क्मपनी का प्रस्ताव सेना द्वारा भेजा जाय ।

(ख) **बिन्दु संख्या –2. ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक हेतु भूमि का आवंटन निःशुल्क किये जाने के संबन्ध में ।** इस बिन्दु पर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सैद्धांतिक सहमति देते हुये मुख्य सचिव को कार्यवाही करने हेतु निर्देश दिये गये ।

(ग) **बिन्दु संख्या–3. प्रदेश के चिकित्सा शिक्षण संस्थानों (Medical Colleges) में प्रदेश निवासी पूर्व सैनिकों के आश्रितों हेतु आरक्षण ।** इस प्रश्न के जवाब में सचिव कार्मिक द्वारा अवगत कराया गया है कि 5 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण पूर्व सैनिकों के लिये पूर्व से ही लागू है जिसमें सरकारी एवं निजी शिक्षा संस्थानों में समान रुप से लागू होता है ।

(घ) **बिन्दु संख्या–4. पूर्व सैनिकों के अनाथ बच्चों हेतु कल्याण कारी योजना** । माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्देशित किया गया कि एमडी उपनल तथा कर्नल (वेटरन) आर्मी के रोजगार सैल द्वारा अनाथ बच्चों को रोजगार हेतु वरीयता दी जाये ।

(ङ) बिन्दु संख्या–5.अल्पकालीन सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को पी0सी0एस0 काडर में आरक्षण। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अपनी सैद्धान्तिक सहमति प्रदान करते हुये अन्य राज्यों से इस सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त कर प्रस्ताव प्रेषित करने को कहा गया ।

(च) बिन्दु संख्या– 6. श्री केदार नाथ एवं श्री बद्रीनाथ धाम में सैनिक विश्राम गृह के निर्माण हेतु भूमि आंवटन। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा उक्त स्थानों पर सैनिक विश्राम गृह हेतु भूमि दिये जाने पर अपनी सहमति प्रदान की ।

(छ) बिन्दु संख्या–7. राज्य के कुमॉयूँ/गढवाल मण्डल में पूर्व सैनिकों को प्रौद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में चयनित कोर्स कराये जाने के सम्बन्ध में । इस बिन्दु पर मुख्यमंत्री जी द्वारा आदेशित किया गया कि इस बारें में कौशल विकास मिशन के तहत पूर्व सैनिकों को प्रशिक्षण दिया जाये

(ज) **बिन्दु संख्या–8. उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में वीरता पुरस्कार प्राप्त सैनिकों, वीरता पुरस्कार प्राप्त सैनिकों (वीर चक्र श्रंखला) की विधवाओं, भारतीय सैनिकों (जो युद्व के दौरान घायल/अपंग हुये हैं) को उत्तराखंड राज्य परिवहन निगम की बसों में निशुल्क यात्रा सुविधा अनुमन्य किये जाने के संबंध में ।** माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अपनी सहमति प्रदान की तथा_सचिव परिवहन को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु कहा गया ।

(झ) **बिन्दु संख्या –9.. विशिष्ट सेवा पदक (DISTINGUISHED SERVICE MEDAL) पुरस्कारों से अलंकृत सैनिकों को एकमुश्त एवं वार्षिकी (एन्यूटी) बढाये जाने के सम्बन्ध में** ।मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा इस बिन्दु पर अपनी सहमति प्रदान की गई।